



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: NHM/RCH/JSY/DBT/2015/204

दिनांक: 17-09-2015

संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले

विषय:- ओजस सॉफ्टवेयर से भुगतान के साथ-साथ आवश्यक रिकॉर्ड संधारण के क्रम में।

जेएसवाई एवं शुभलक्ष्मी योजना के "OJAS" (Online JSY And Shubhlaxmi) Software Development के इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक NHM/RCH/JSY/DBT/2015/158 दिनांक 21.07.2015 विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे परन्तु ऑनलाइन भुगतान संबंधी रिकॉर्ड का संधारण ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। इस कारण आपके संस्थान में मूल्यांकन एवं अंकेक्षण के समय भुगतान व रिकॉर्ड में अन्तर होने की पूर्ण संभावना है। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि निम्नानुसार रिकॉर्ड का संधारण सुनिश्चित करावे:-

1. प्रत्येक संस्थागत प्रसव का ओपीडी, आईपीडी व लेबर रूम रजिस्टर के क्रमांक के साथ-साथ पूर्ण नाम व पते सहित संधारण हेतु पृथक से रजिस्टर बनाया जावे।
2. लेबर रूम से प्राप्त जे-1, जे-2 क्लेम फॉर्म में पूर्ण सूचनाएं संधारित की जावे एवं इस फॉर्म में लेबर रूम, ड्यूटी स्टाफ के साथ-साथ फॉर्म की भुगतान शाखा द्वारा भी जांच का प्रमाण अंकित किया जावे।
3. क्लेम फॉर्म पर वार्षिक क्रम संख्या (यथा प्रथम भुगतान का क्रमांक 1, 2, 3.....) अंकित करते हुए पृथक से फाईल का संधारण किया जावे।
4. क्लेम फॉर्म पर समस्त सूचनाओं का ऑनलाईन इन्द्राज किये जाने के पश्चात् निम्नानुसार मोहर बनवाकर जांचकर्ता एवं दूसरी मोहर प्रमाणितकर्ता द्वारा लगाते हुए प्रति हस्ताक्षर कर फाईल किया जावे ताकि भुगतान अनुशंसा के साथ-साथ भविष्य में पुनः भूलवश इन्द्राज भी नहीं हो पाये।

समस्त सूचनाओं के इन्द्राज पश्चात् प्रविष्टियों का सत्यापन कर भुगतान हेतु अनुशंसा की गई है।

हस्ताक्षर
जांचकर्ता/लेखाकर्मी


Entered records are checked, verified & request for the release payment.

Signature
Medical Officer Incharge
Name of Institution.....
District..... (Raj.)

5. प्रति दिन भुगतान जारी किये जाने वाले केसेज का सॉफ्टवेयर से प्रिन्ट आउट प्राप्त कर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा वाउचर प्रमाणित करवाकर फाईल संधारित की जावे।
6. जिन लाभार्थियों को कारणवश चैक से भुगतान करना पड़ा है उनका भी रिकॉर्ड चैक नम्बर सहित इसी रजिस्टर में संधारित किया जावे।
7. राज्य स्तर से ईसी में लिये गये निर्णयानुसार प्रसूता के डिस्चार्ज के बाद 15 दिवस तक भी लाभार्थी द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराया जाता है तो प्रविष्टि कर भुगतान किया जा सकेगा। इस हेतु ई-मेल द्वारा आपको पूर्व में सूचित किया जा चुका है।


8. घूमन्तु जाति एवं बैंक से रिजेक्टेड केसेज का भुगतान बैंक द्वारा तुरन्त कर दिया जावे, इनके लिए बार-बार राज्य स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
9. क्लेम फॉर्म के इन्द्राज में पूर्ण सावधानी रखी जावे। गलत सूचना के इन्द्राज से भुगतान में भिन्नता एवं गलत भुगतान की स्थिति में संस्था प्रभारी की ही पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी एवं लेखा नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
10. अगर किसी लाभार्थी का दोहरा भुगतान गलती से बन जाता है तो उसी दिन राज्य स्तर पर लिखित में ई-मेल द्वारा तुरन्त सूचित करना आवश्यक होगा ताकि उस भुगतान को रद्द कर शेष भुगतानों हेतु FTO जारी किया जा सके। आप द्वारा सूचित नहीं करने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जावेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


 निदेशक, आरसीएच
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं प्रभारी समस्त अधीनस्थ चिकित्सा संस्थान, समस्त जिले।
4. परियोजना निदेशक- एमएच।
5. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय।
6. अतिरिक्त राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल, समस्त जिले।
8. जिला लेखा प्रबंधक, समस्त जिले।
9. खण्ड मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
10. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
11. सलाहकार, आई.टी. को पालनार्थ हेतु।
12. सर्वर रूम।
13. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक, आरसीएच
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान, जयपुर

ओजस रिकॉर्ड संधारण

क्र. स.	प्रसूता का नाम	पति / पता का नाम	पता	निवासी प्राणीण/ शहरी	OPD No.	IPD No.	LR No.	भर्ती की दिनांक	प्रसव की दिनांक	प्रसव का समय	डिस्चार्ज की दिनांक	डिस्चार्ज का समय	परिवहन का साधन			भुगतान माध्यम (OJAS/ Cheque)	भुगतान नही होने संबंधी कारण
													घर से संस्थान तक (निजी/ प्राइवेट / 104 / 108)	संस्थान से संस्थान तक (निजी/ प्राइवेट / 104 / 108)	संस्थान से घर तक (निजी/ प्राइवेट / 104 / 108)		

5/7/18